



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274454
CG-DL-E-14072026-274454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3650]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3650]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3812(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0.000 कि.मी. से 98.500 कि.मी. के NH34 के दमोह-जबलपुर खण्ड के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH34 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 98.500 (दमोह-जबलपुर खण्ड) तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अनुविभागीय अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग	मध्य प्रदेश	जबलपुर	पाटन	1 पड़रिया

	(राजस्व) पाटन	संख्या NH34 के कि.मी 66.422 से कि.मी 86.4 तक				2	जमुनिया
						3	कुल्हुवा

[फा. सं. NHAI/PIU-Jabalpur/Damoh-Jabalpur/3(a)/2026]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3812(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 98.500 of Damoh-Jabalpur section of the NH34 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MADHYA PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH34 from Km. 0.000 to Km. 98.500 (Damoh-Jabalpur section) in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SDO (REVENUE) PATAN	NH34 KM 66.422 TO KM 86.4	MADHYA PRADESH	JABALPUR	Patan	1 Padariya 2 Jamuniya 3 Kulhuwa

[F. No. NHAI/PIU-Jabalpur/Damoh-Jabalpur/3(a)/2026]

SHAIKH AMINKHAN, Director